



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र./10434/एनआरईजीएस-म.प्र./योजना/एनआर-1/16 भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर, 2016
प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा
जिला (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा
जिला पंचायत-(समस्त), मध्यप्रदेश।

विषय:-महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों पर जारी मस्टर की उपस्थिति नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि के संबंध में।

संदर्भ:-म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र क्र. 9988/एनआरईजीएस-म.प्र./योजना/एनआर-1/16 भोपाल, दिनांक 03.10.2016.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र संलग्न प्रेषित है, जिसका अवलोकन करें। संदर्भित पत्र से ग्राम रोजगार सहायक/ सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश जारी किये गये हैं कि निर्माण कार्य पर जारी ई-मस्टर का सप्ताह समाप्त होने के दूसरे दिन ही ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत मस्टर में अंकित मजदूरों की उपस्थिति नरेगा सॉफ्ट में बिना मूल्यांकन के प्रविष्टि की जावे। इसके बाद उपयंत्री का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की लॉगिन से नरेगा सॉफ्ट में मूल्यांकन की प्रविष्टि करें। इस व्यवस्था से रिपोर्ट जनरेट कर यह ज्ञात किया जा सकेगा कि विलंब ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत स्तर या उपयंत्री स्तर पर किया गया है।

ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा Muster Roll close होने के दो दिन में मनरेगा सॉफ्ट में Attendance दर्ज करना एवं Wage list generate कर समय पर भेजने में विलंब किया जाता है, तो उक्त प्रथम त्रुटि के लिये विलंबित दिवस का Delay Compensation संबंधित ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत से वसूली हेतु आदेशित किया जावे। यदि ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त प्रकार की त्रुटि पुनः की जाती है तो द्वितीय त्रुटि के लिये विलंबित किये गये दिवसों को ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत के अकार्य दिवस मानते हुए उतने दिवस का मानदेय/वेतन काटा जावे। यदि ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा तीसरी बार विलंब के संबंध में त्रुटि की जाती है तो तृतीय त्रुटि के लिये ग्राम रोजगार सहायक/सचिव ग्राम पंचायत को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



(नीलम शमी राव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

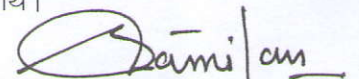
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :-

पृ.क्र./10435/एनआरईजीएस-म.प्र./योजना/एनआर-1/16

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक यंत्री जनपद पंचायत -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपयंत्री "महात्मा गांधी नरेगा निर्माण कार्य संबंधी" -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदाभवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेराहिल्स, भोपाल

ड्राफ्टपत्र

क्र./ 9988 / एनआरईजीएस-म.प्र./ योजना/ एनआर-1/ 16 भोपाल, दिनांक 03 सितंबर, 2016
प्रति, अक्टूबर

रोजगार सहायक/सचिव,
ग्राम पंचायत (समस्त), मध्यप्रदेश।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों पर जारी मस्टर की उपस्थिति नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों पर जारी ई-मस्टर में दर्ज उपस्थिति नरेगा साफ्ट में प्रायः उपयंत्री का मूल्यांकन होने के उपरांत ही दर्ज की जा रही है। जबकि वास्तविक रूप से मस्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज करने का कार्य सप्ताह समाप्त होने के बाद पूर्ण हो जाता है। जिससे नरेगा साफ्ट में रियल टाईम पर उपस्थिति एवं मानव दिवस सृजन का विवरण उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही वर्तमान में मूल्यांकित मस्टर रोल का मूल्यांकन का विवरण भी उपयंत्री द्वारा दर्ज नहीं किया जा रहा है। उक्त के कारण भुगतान किस स्तर पर लंबित हैं है इसका नरेगा साफ्ट के माध्यम से सूक्ष्म मॉनिटरिंग होना संभव नहीं होता है तथा विलंबित भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर जिम्मेदारी का निर्धारण करने में समस्या आ रही है।

उल्लेखनीय है की नरेगा साफ्ट में मस्टर रोल का सप्ताह पूर्ण होने के उपरांत अमूल्यांकित मस्टर रोल पर केवल उपस्थिति दर्ज करने हेतु विकल्प (मस्टर रोल अटेण्डेस ओनली) उपलब्ध है। साथ ही मूल्यांकन उपरांत मस्टर रोल का मूल्यांकन दर्ज करने हेतु भी प्रावधान उपलब्ध है।

विलंब को समाप्त करने के लिए अब यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि निर्माण कार्य पर जारी ई-मस्टर का सप्ताह समाप्त होने के दूसरे दिन ही ग्राम रोजगार सहायक/सचिव मस्टर में अंकित मजदूरों की उपस्थिति नरेगा सॉफ्ट में बिना मूल्यांकन के प्रविष्टि की जावे। इसके बाद उपयंत्री का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की लॉगिन से नरेगा सॉफ्ट में मूल्यांकन की प्रविष्टि करें। इस व्यवस्था से रिपोर्ट जनरेट कर यह ज्ञात किया जा सकेगा कि विलंब ग्राम रोजगार सहायक/सचिव स्तर या उपयंत्री स्तर पर किया गया है।

उक्त व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में एक विडियो नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि समझने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

प्रतिलिपि :-

पृ.क्र./ 9989 / एनआरईजीएस-म.प्र./ योजना/ एनआर-1/ 16 भोपाल, दिनांक 03 सितंबर, 2016
अक्टूबर

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक यंत्री जनपद पंचायत -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उपयंत्री "महात्मा गांधी नरेगा निर्माण कार्य संबंधी" -समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

29/9/16
आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल